



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2011/ज्येष्ठ 12, 1933

No. 290]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2011/JYAISTHA 12, 1933

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2011

सा.का.नि. 426(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

1. (1) ये नियम गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व तकनीक अधिनियम (लिंग चयन निषेध) संशोधन नियम, 2011 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 में, नियम 11 में, उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

“(2) सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी किसी संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी अल्ट्रासाउंड मशीन, स्कैनर या अन्य उपकरण, ध्रुव के लिंग की पहचान करने वाली मशीन को सील और बंद कर सकता है यदि संगठन ने अधिनियम के तहत स्वयं पंजीकरण नहीं करवाया है। ऐसे संगठनों की ये मशीनें जब्त कर ली जाएंगी और अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”

[फा. सं. 24026/60/2008-पीएनटीडी]

अनुराधा गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 1996 के सा.का.नि. 1(अ), के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 14 फरवरी, 2003 और सा.का.नि. 109(अ) के तहत संशोधित की गई।

2052 GI/2011

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2011

G.S.R. 426 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendments to the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, in Rule 11, for sub-rule (2), the following rule shall be substituted, namely :—

“(2) The Appropriate Authority or the officer authorised by it may seal and seize any ultrasound machine, scanner or any other equipment, capable of detecting sex of foetus, used by any organization if the organization has not got itself registered under the Act. These machines of such organizations shall be confiscated and further action shall be taken as per the provisions of the Section 23 of the Act.”

[F. No. 24026/60/2008-PNDT]

ANURADHA GUPTA, Jt. Secy.

Note:—The Principal Notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 1(E), dated 1st January, 1996 and amended, vide Notification No. G.S.R. 109(E), dated 14th February, 2003.